''ओरण बचाओ'' की नारेबाजी के साथ जयपुर में जुटे हजारों लोग

700 किलोमीटर दूर जैसलमेर से जयपुर पहुंचे प्रदर्शनकारी, निर्दलीय विधायक रविन्द्र भाटी भी शामिल हुए

ओरण भूमि संरक्षण की मांग को लेकर जैसलमेर के हजारों युवाओं ने जयपुर में प्रदर्शन किया।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान में चारागाह और वन क्षेत्र (ओरण) के संरक्षण को लेकर जयपुर में गुरूवार को बड़ा जनआंदोलन देखने को मिला। सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन से ओरण बचाओ पदयात्रा निकाली गई, जिसमें जैसलमेर सहित प्रदेशभर से सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस यात्रा में करीब 700 किलोमीटर दूर जैसलमेर से लोग शामिल हुए।

यह पदयात्रा मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचकर सरकार का ध्यान पर्यावरण संरक्षण और ओरण भूमि की सुरक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए निकाली गई, लेकिन पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली तो चौमूं पुलिया सर्किल पर बैरिकेड्स लगाकर सभी लोगों को भवानी निकेतन के पास ही रोक लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई।

पदयात्रा में शामिल बाड़मेर जिले के शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सरकार पर निशाना साधा। भाटी ने कहा कि जैसलमेर की अंतरराष्ट्रीय सीमा से बडी संख्या में बुजुर्ग लोग जयपुर पहुंचे हैं, जिन्होंने 1965 और 1971 के युद्ध में देश के लिए योगदान दिया था, लेकिन आज उन्हें अपनी जायज मांगों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह सरकार के लिए चिंतन का विषय है और ओरण भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए।

भाटी ने आरोप लगाया कि वर्तमान में ओरण भूमि का बड़ा हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, जिससे अतिक्रमण की घटनाएं बढ़ रही हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में किसानों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार की ओर से कोई स्पष्ट नीति या गाइडलाइन सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा अतिक्रमण के मामलों पर भी सरकार गंभीर नहीं दिख रही है। उन्होंने खेजड़ी संरक्षण को लेकर प्रस्तावित बिल का जिक्र किया। कहा कि सरकार ने सदन में बिल लाने का वादा किया था, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया। विश्नोई समाज सहित कई वर्गों ने इस मुद्दे पर आंदोलन किया, लेकिन सरकार की घोषणाएं अभी तक धरातल पर नहीं उतरी हैं। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वे 21 जनवरी को जैसलमेर के तनोट माता मंदिर से पदयात्रा शुरू कर जयपुर पहुंचे हैं। कडाके की ठंड से लेकर अब भीषण गर्मी तक नंगे पैर यात्रा कर रहे लोगों का कहना है कि वे ओरण, गोचर भूमि, खेजड़ी के पेड़, नदियों, नालों और तालाबों के संरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

- पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को चौमूं पुलिया सर्किल स्थित भवानी निकेतन कॉलेज के पास रोका, विरोध पर हल्की झड़प भी हुई
- विधायक भाटी ने कहा ''ओरण भूमि का बड़ा हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, लोगों को जायज मांगों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा है।''

जैसलमेर में ओरण के लिए 3666 हैक्टेयर भूमि आरक्षित

भजनलाल सरकार ने ओरण भूमि संरक्षण के लिए की बड़ी पहल

जयपुर । राज्य सरकार ने जैसलमेर जिले के विभिन्न गांवों में ओरण के लिए कुल 3666.2139 हैक्टेयर भूमि आरक्षित की है, जिसमें रामगढ़ तहसील के ग्राम दिलावर का गांव में 124.9502 हैक्टेयर, कुछड़ी ग्राम में 1084.8043 हैक्टेयर और पूनमनगर ग्राम में 583.9876 हैक्टेयर, फतेहगढ़ तहसील के ग्राम भीमसर में 952.2752 हैक्टेयर और बींजोता में 96.7716 हैक्टेयरभूमि ओरण क्षेत्र के लिए आरक्षित की गई है। जैसलमेर तहसील के ग्राम मोकला के तीन खण्डों में क्रमशः 187.364, 256.2511 और 253.4034 हैक्टेयर तथा बीरमा काणोद 126.4065 हैक्टेयर भूमि आरक्षित की जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त जैसलमेर तहसील के ग्राम मोकला में 1457.4991 हैक्टेयर, नाचना तहसील के ग्राम आसकन्द्रा में 225.03 हैक्टेयर एवं ग्राम दिधू में 229.5067 हैक्टेयर, ग्राम मोहनगढ़ बारानी/पन्नोधराय में 333.9165 हैक्टेयर क्षेत्रों को भी ओरण के रूप में आरक्षित करने की कार्यवाही की जा रही है।

राज्य सरकार जैसलमेर जिले के पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए ओरण भूमि के आरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए है। ज्ञात रहे कि ओरण प्राचीन काल से चली आ रही एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ सामाजिक-धार्मिक मान्यताओं के कारण स्थानीय लोग इन पवित्र उपवनों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन क्षेत्रों में पेड़ों को काटना या कुल्हाड़ी का उपयोग करना वर्जित है, जिससे यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र स्वतः ही सुरक्षित रहता है। ओरण जो संस्कृत शब्द अरण्य से बना है और जिसका अर्थ बिना छेडा हुआ जंगल होता है। यह न केवल हमारी प्राचीन धार्मिक परंपराओं का प्रतीक है बल्कि मरुस्थलीकरण को रोकने में भी सहायक है। यह पहल न केवल जैसलमेर के पारंपरिक आस्था स्थलों का संवर्धन करेगी बल्कि मरुस्थलीय क्षेत्र में हरियाली और जैव विविधता को भी नई मजबूती प्रदान करेगी।

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य मो. इस्माइल मंसूरी s/o नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी खनिया बंधा कच्ची बस्ती नाला पार मुबारक मस्जिद के पास गोनेर रोड जयपुर (राज.) का हूं उनका पुत्र मोहम्मद अजीम मंसूरी व उसकी पत्नी अमर जहां उर्फ शबिया बेगम जो कि मेरे अभिभाष्य की कोई सेवा सुश्रूषा नही करते हैं तथा मोहम्मद अजीम मंसूरी व उसकी पत्नी अमर जहां उर्फ शबिया बेगम दोनों ने मेरे अभिभाष्य को हैरान-परेशान कर रखा है, इसलिए मेरे अभिभाष्य अपने पुत्र मोहम्मद अजीम मंसूरी व उसकी पत्नी अमर जहां उर्फ शबिया बेगम को अपनी चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल करते हैं तथा उनके द्वारा किये गये किसी भी कृत्य, वाद-विवाद, अपराध व किसी भी तरह की लेन देन या संव्यवहार के लिए मेरे अभिभाष्यगण जिम्मेदार नहीं होंगे, यदि कोई व्यक्ति, संस्था, इत्यादि किसी भी तरह का कोई सम्बन्ध संव्यवहार मेरे पुत्र व उसकी पत्नी से करता है तो उत्पन्न होने वाले समस्त परिणामों के लिए वह स्वयं जिम्मेवार होंगे, जिससे मेरे अभिभाष्य का कोई लेना देना नहीं होगा सूचित रहे। (आमिर अहमद) एडवोकेट

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनेश चन्द मित्तल के स्वामित्व की अचल संपत्ति प्लॉट नं० डी-87, वैशाली नगर, जयपुर 302021 (राजस्थान) के मूल दस्तावेजों में आवटंन पत्र संख्या 85 दिनांक 30/04/1985, लाइसेंस डीड संख्या 725 दिनांक 21/04/1987, कब्जा पत्र दिनांक 05/02/1987, स्वीकृति पत्र संख्या 6728 दिनांक 21/03/1988, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27/10/1989, रजिस्टर्ड लीज डीड (आंशिक लैमिनेटेड) संख्या 948 दिनांक 15/03/2010 को सुरक्षित रखने हेतु लैमिनेट कराया गया है तथा वर्तमान में भी उक्त सम्पत्ति के मूल दस्तावेज लैमिनेट है। लैमिनेट दस्तावेज के आधार पर ही मेरा अभिभाष्य राजेश मित्तल उक्त सम्पत्ति को दिनेश चन्द मित्तल से क्रय कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से ऋण प्राप्त कर रहन रख रहा हैं। यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त लैमिनेट किए गए दस्तावेज मूल, सही एवं वैध हैं तथा उनमें किसी प्रकार की कोई काट-छांट या परिवर्तन नहीं किया गया है। यदि किसी व्यक्ति, बैंक, वित्तीय संस्था या प्राधिकरण को उक्त संपत्ति या उसके मूल दस्तावेजों के संबंध में कोई आपत्ति, दावा या हित हो, तो वह इसकी सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर लिखित रूप में प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर यह मान लिया जाएगा कि किसी को कोई आपत्ति या दावा नहीं है तथा उक्त मूल दस्तावेज सभी विधिक प्रयोजनों हेतु मान्य माने जाएंगे।
दिनांक: 15/04/2026 (एडवोकेट अंग बहादुर खान) रजिस्ट्रेशन नं. R/1225/2012
स्थान: जयपुर पता: बी.26, क्रांत रोड मॉल, विद्याधर नगर, जयपुर। मो.: 9785426750

आम सूचना
यह कि फ्लेट नम्बर ए-102, फर्स्ट फ्लोर, टॉवर-ए, दा रॉयल ट्वीन्स, खसरा नम्बर 422 व 423, ग्राम बुद्धसिंहपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर जिसका बिल्टअप ऐरिया 1212 वर्गफीट है पर मेरी अभिभाष्या के पुत्र चक्रेश शर्मा ने एच.डी. एफ.सी. बैंक लि. से ऋण प्राप्त किया हुआ है। चक्रेश शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 14.03.2026 ईस्वी को हो गया। उक्त फ्लेट के मूल दस्तावेज प्राप्त करने हेतु मेरी अभिभाष्या स्नेहलता शर्मा ने आवेदन किया है यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन से सात दिन में अद्योहस्ताक्षकर्ता के समक्ष लिखित आपत्ति मय साक्ष्य प्रस्तुत करें। बाद गुजरने मियाद किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। Surender Singh Shekhawat (Advocate) 9983155555, 7791855555

आम सूचना हर आमजन को सूचित किया जाता है कि मेरा अभिभाष्य बाबूलाल जागिड पुत्र श्री ब्रजमोहन जागिड दिनांक 20.02.2026 को अपने घर ग्राम लबाना, निवासी चौपडा की ढाणी, तहसील आमेर जिला जयपुर को दिनांक 20.02.2026 को अपने जमीन जिसमें वो निवास कर रहे हैं जिसके वर्तमान खाता संख्या 1618 व पुराना खाता संख्या 563 में 0.26 हैक्टर का खरीद इकरानामा दिनाक 05.07.1968 का मूल इकरारनाम जो जिसके द्वारा नाथू गणेश पुत्र धन्ना जाति बागड़ा ब्राह्मण से खरीद किया गया था तथा उसका सम्पूर्ण भुगतान विक्रेतागण को कर दिया गया था। तथा खरीदी गई ज़मीन का भौतिक कब्जा उसी समय प्राप्त कर लिया था तथा इसी खरीदी गई जमीन के सम्बन्ध में न्यायालय में चल रहे उपखण्ड अधिकारी आमेर के विचाराधिन विवाद के सिलसिले में अपने मूल इकरानामा खरीद तथा आबादी भूमि के विक्रय विलेख पट्टे जो दिनाक 05.12.1975 को जारी हुए पट्टे रामेश्वर लाल पिता लादूराम व मूलचन्द पिता लादूराम व ब्रजमोहन पिता लादूराम, कल्याण पिता लादूराम व अन्य के नाम जारी मूल पट्टे जो ग्राम पंचायत लबाना, पंचायत समिति आमेर के द्वारा जारी पट्टे व रसीदे तथा पुराने अन्य कागजात जो उनके निवास से सम्बन्धित जैसे पुराना राशन कार्ड, चुनावी पहचान पत्र व ड्राईविंग लाईसेंस व कोर्ट की पत्रावली आदि ले कर अपने घर से थैले में रख कर अपने घर से कोर्ट कार्यालय बनीपार्क जयपुर जा रहा था तथा जाते वक्त समस्त उक्त मूल कागजात का थैले में रखे हुए थे वो रास्ते में कहीं गिर गये हैं। जिनको मेरे अभिभाष्य ने ढुंढने व तलाशने की बहुत कोशिश की लेकिन उक्त कागजात मेरे अभिभाष्य को कही नहीं मिले तथा यदि किसी व्यक्ति को ये उक्त मूल कागजात किसी व्यक्ति को प्राप्त हुये हैं तो वह मेरे ऊपर दिये गये पते पर वापस लौटा देवें तथा यदि किसी व्यक्ति ने इनका अपने हित के लिये प्रयोग किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लायी जायेगी। इसके बारे में ये सूचना समस्त आमजन के लिये लागू होगी तो सूचित रहे। विनोद कुमार सैनी,
दिनांक 16.04.2026 एडवोकेट मो.9351634225

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से की शिष्टाचार भेंट

राम जल सेतु लिंक परियोजना, जल जीवन मिशन एवं जल प्रबंधन से जुड़े विषयों पर सार्थक चर्चा हुई

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को नई दिल्ली मेंकेंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल से मुलाकात की।

उन्होंने राम जल सेतु लिंक परियोजना की प्रगति,हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रदेश में जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन को लेकर सार्थक चर्चा की।

रोडवेज कर्मचारी निजीकरण के विरोध में सड़कों पर उतरे

जयपुर । राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्पलाईज यूनियन (एटक/एआईटीयूसी) के बैनर तले गुरुवार को रोडवेज मुख्यालय पर प्रदेश स्तरीय विशाल धरना-प्रदर्शन किया गया। इसमें 1000 से अधिक सेवारत और सेवानिवृत्त कामगारों ने भाग लेते हुए रोडवेज बचाओ-रोजगार बचाओ के नारे लगाए। इससे पहले कर्मियों ने जयपुर डिपो से मुख्यालय तक रैली निकालकर विरोध जताया।

धरने को संबोधित करते हुए यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष एम.एल. यादव ने कहा कि एक समय रोडवेज में 25 हजार से अधिक कर्मचारी और 4500 से अधिक बसें थीं, जबकि अब यह संख्या घटकर करीब 10 हजार कर्मचारी और 2580 बसों तक सिमट गई है, जिनमें से 850 बसें अत्यंत पुरानी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारों की उपेक्षा के चलते रोडवेज को धीरे-धीरे निजीकरण की ओर धकेला जा रहा है।

यादव ने बताया कि कर्मचारियों की भारी कमी के कारण ड्राइवर और कंडक्टर से 12 से 16 घंटे तक काम लिया जा रहा है, जबकि नियमानुसार 8 घंटे का कार्य निर्धारित है। इसके बावजूद उन्हें ओवरटाइम का भुगतान और साप्ताहिक अवकाश नहीं मिल रहा, जो श्रम कानूनों का उल्लंघन है। यूनियन ने 15 हजार रिक्त पदों पर भर्ती और 2500 नई बसों की खरीद की मांग उठाई।

फर्जी डिग्री प्रकरण में ओपीजेएस विवि के चेयरमैन को जमानत नहीं

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने फर्जी डिग्री जारी करने से जुडे मामले में ओपीजेएस विश्वविद्यालय के चेयरमैन जोगेंद्र सिंह को राहत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी की चौथी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी की पूर्व में तीन बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी है और मामले की गंभीरता के साथ ही कोई नया आधार नहीं होने के कारण उसे जमानत नहीं दी जा सकती।

जमानत याचिका में कहा गया कि उस पर आरोप है कि उसने विवि के चेयरपर्सन के रूप में फर्जी डिग्रियां जारी की। जबकि ऐसा कोई रिकॉर्ड पेश नहीं हुआ, जिससे यह साबित हो कि डिग्री पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसके अलावा वह साल 2015 में ही विवि प्रबंधन से इस्तीफा दे चुका है।

तब से उसके पास विवि के प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है। इसके अलावा मामले में सीधे ही विशेष अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया है। विशेष अदालत को मामले में प्रसंज्ञान लेने का तब तक अधिकार नहीं है, जब तक मामले को मजिस्ट्रेट की ओर से कमिट नहीं किया जाए। इसलिए उसे जमानत दी जाए। जिसका विरोध करते हुए एएजी राजेश चौधरी ने कहा कि विवि की डिग्री का उपयोग कर सह आरोपी गणपत लाल पीटीआई भर्ती, 2022 में चयनित हुआ था। इसकी डिग्री जारी करने में याचिकाकर्ता की संलिप्तता रही थी।

कार्यालय ग्राम पंचायत भाड़ोती, पंचायत समिति- मलारना डूंगर
जिला- सवाई माधोपुर
क्रमांक:-2025-26/11 दिनांक 13/04/2026
ई-निविदा सूचना संख्या 01/2026-27
पंचायत समिति, मलारना डूंगर के अधीन ग्राम पंचायत भाड़ोती में महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु दर संविदा पर सामग्री एवं उपकरण आपूर्ति कार्य हेतु निर्धारित प्रपत्र में निविदा दरें ई-प्रोक्युरमेंट पद्धति से द्विस्तरीय (तकनिकी एवं वित्तीय अलग अलग) वेबसाईट www.eproc.rajasthan. gov. in पर सक्षम श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा से संबंधित नियम, शर्तें व सम्बन्धी दस्तावेज लोक उपापन की वेबसाइट www.sppp. rajasthan.gov.in एवं www.eproc.rajasthan. gov. in पर देखें एवं डाउनलोड किये जा सकते है।
NIB No.ZSM2627A0017
UBN No. ZSM2627WSOB00032
प्रशासक ग्राम पंचायत भाड़ोती — ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भाड़ोती

विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का पर्दाफाश

जयपुर। राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम (डीएसटी) पश्चिम ने विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 50 पासपोर्ट, 32 मुहरें, मोबाइल फोन और हिसाब-किताब की डायरियां बरामद की हैं। फिलहाल आरोपितों से पूछताछ की जा रही है।

डीएसटी इंचार्ज गणेश सैनी के अनुसार झोटवाडा थाना क्षेत्र में स्थित शिवशंकर टावर अपार्टमेंट के एक फ्लैट में बदमाशों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इस पर टीम ने बुधवार देर रात फ्लैट पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान फ्लैट में छिपे कुचामन निवासी लोकेंद्र सिंह और विजयपाल सिंह, झुंझुनूं निवासी लोकेश तथा रींगस निवासी गोगराज को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि मुख्य आरोपी लोकेंद्र सिंह डीडवाना के मकराना क्षेत्र का वांछित अपराधी है।

जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी 'डायमंड वीजा सर्विस' नाम से फर्जी फर्म चलाकर लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने का लालच देते थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए लोगों से संपर्क कर उन्हें ड्राइवर, माली, मिस्त्री जैसे काम दिलाने का भरोसा दिलाया जाता था। इसके बाद वीजा और नौकरी के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लिए जाते थे।

पुलिस ने फ्लैट की तलाशी में 50 पासपोर्ट, 32 फर्जी मुहरें, 3 मोबाइल फोन और लेन-देन से जुड़ी 5 डायरियां बरामद की हैं, जिनसे बडे स्तर पर ठगी के नेटवर्क के संकेत मिले हैं। झोटवाड़ा थाना पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है।

आमेर में हाथी सवारी बंद करने की मांग

जयपुर । सेव द एलिफेंट डे के अवसर पर राजधानी के जवाहर सर्किल पर युवाओं और पशु प्रेमियों ने पेंटेड हाथी फोटोशूट और हाथियों के उपयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पोस्टर लेकर लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि हाथी मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि संवेदनशील जीव हैं।

कार्यकर्ताओं ने आमेर किले में पर्यटकों के लिए कराई जाने वाली हाथी सवारी पर भी चिंता जताई। उनका कहना था कि हाथियों को कठोर परिस्थितियों में काम करना पडता है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के 'प्रोजेक्ट एलिफेंट' द्वारा भी इस मुद्दे को पहले उठाया जा चुका है। वाइल्डलाइफ कैंपेन मैनेजर शुभोब्रतो घोष ने बताया कि कैद में रखे गए हाथियों में मानसिक तनाव के लक्षण दिखाई देते हैं। हाल के वर्षों में काजीरंगा, त्रिपुरा और उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों में हाथियों से जुडी घटनाओं ने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया है। प्रदर्शनकारियों ने राजस्थान सरकार से मांग की कि आमेर किले में हाथी सवारी को बंद कर हाथियों को सुरक्षित अभयारण्यों में स्थानांतरित किया जाए। गौरतलब है कि विश्व पशु संरक्षण संगठन के अनुसार भारत में 2500 से अधिक हाथी कैद में हैं।

विकसित भारत की आधारशिला बना 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' : डॉ. सौम्या गुर्जर

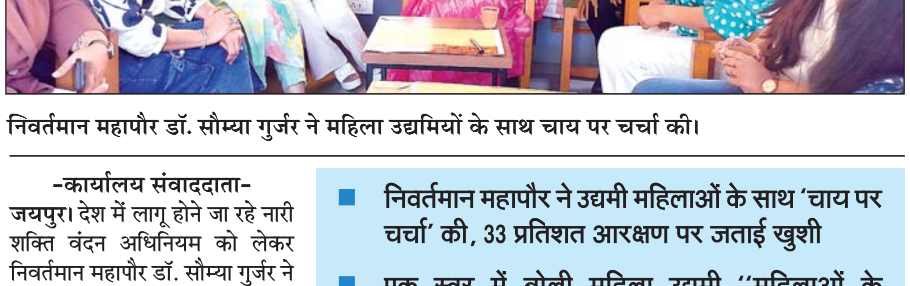

निवर्तमान महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर ने महिला उद्यमियों के साथ चाय पर चर्चा की।

- निवर्तमान महापौर ने उद्यमी महिलाओं के साथ 'चाय पर चर्चा' की, 33 प्रतिशत आरक्षण पर जताई खुशी
- एक स्वर में बोली महिला उद्यमी ''महिलाओं के सशक्तिकरण से ही होगा राष्ट्र का सर्वांगीण विकास''

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। देश में लागू होने जा रहे नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर निवर्तमान महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर ने उद्यमी महिलाओं के साथ ''चाय पर चर्चा'' की। कार्यक्रम में डॉ. सौम्या गुर्जर ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम विकसित भारत के निर्माण की मजबूत आधारशिला है। उन्होंने इसे महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाला ऐतिहासिक निर्णय बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उद्यमी महिलाओं की सहभागिता रही, जहां महिलाओं ने खुलकर अपने विचार साझा किए और अधिनियम से जुडी जानकारी प्राप्त की।

डॉ. गुर्जर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने की दिशा में ठोस और निर्णायक कदम उठाया है। 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान महिलाओं को लोकतंत्र में मजबूत भागीदारी प्रदान करेगा, जिससे शासन व्यवस्था में संतुलन और समावेशिता आएगी। इस दौरान निवर्तमान महापौर सहित सभी महिलाओं ने संसद में चल रहे विशेष सत्र में चल रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषण को सुना।

डॉ. सौम्या गुर्जर ने कहा कि इस अधिनियम के लागू होने से महिलाओं को नीति-निर्माण और निर्णय प्रक्रिया में सशक्त भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। इससे न केवल महिलाओं की आवाज मजबूत होगी, बल्कि उनके दृष्टिकोण से समाज के विभिन्न मुद्दों का बेहतर समाधान भी संभव होगा। उन्होंने यह भी कहा कि महिला नेतृत्व के बढ़ने से शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्रों में अधिक संवेदनशील और प्रभावी निर्णय लिए जा सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान उद्यमी महिलाओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि यह अधिनियम महिलाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा। कई महिलाओं ने कहा कि अब वे न केवल अपने व्यवसाय में, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगी। महिलाओं ने 33 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान पर खुशी जताते हुए इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और कहा कि यह निर्णय आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्त्रोत बनेगा। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित महिलाओं ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।

नम्बर मिलाइए
9587884433

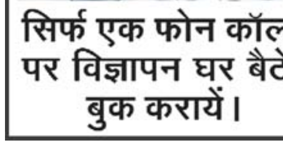
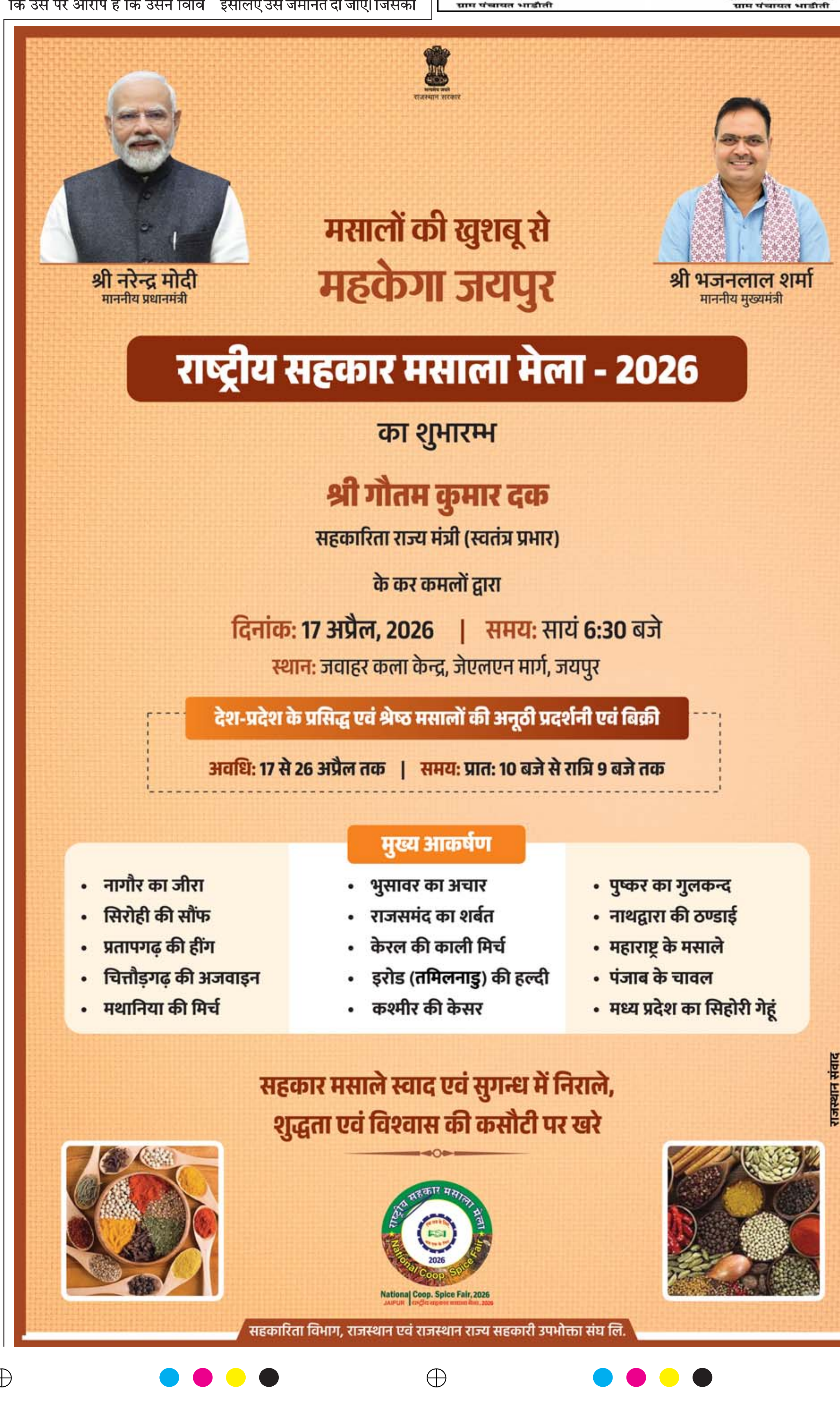
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।